**न्यायालय : सेशन न्यायाधीश, चूरू (राजस्थान)**

**लिंक न्यायालय अपर सेशन न्यायाधीश, चूरू**

| | | |
|---|---|---|
| पीठासीन अधिकारी | – | राजेन्द्र चौधरी, R.J.S. (DJ Cadre) |
| जमानत प्रार्थना पत्र सं. | – | 164/2026 |
| सीएनआर नम्बर | – | RJCH010006952026 |

पप्पू लाल पुत्र देवीलाल उम्र 41 वर्ष निवासी मोतीपुरा भरतुन पीएस सपोदरा तहसील जिला करोली (राजस्थान)

– प्रार्थी/अभियुक्त

वि रू द्ध

राजस्थान राज्य जरिए लोक अभियोजक, चूरू (राजस्थान) – अप्रार्थी

**प्रथम जमानत प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता, प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 08/2024 पुलिस थाना कोतवाली चूरू जुर्म दफा 420, 467, 468, 471 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता**

**उपस्थित :–**

1. श्री संजीव कुमार मीणा, योग्य अधिवक्ता – प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से।
2. योग्य लोक अभियोजक – राज्य की ओर से।

**– : आ दे श : –**

**दिनांक – 04 जून, 2026**

1. प्रार्थी/अभियुक्त की जमानत का यह प्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 437 दण्ड प्रक्रिया संहिता योग्य मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, चूरू द्वारा दिनांक 02.06.2026 को खारिज किए जाने पर उपरोक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता प्रस्तुत कर इस प्रकरण में जमानत पर रिहा किए जाने की प्रार्थना की गई है। प्रार्थना पत्र की नकल योग्य लोक अभियेाजक को दिलवाई गई। अनुसन्धान पत्रावली तलब की गई। चूंकि श्रीमान सेशन न्यायाधीश, चूरू ग्रीष्मावकाश पर चल रहे हैं, इसलिए यह जमानत आवेदन पत्र सुनवाई व निस्तारण हेतु मेरे समक्ष पेश किया गया है।

2. बहस जमानत प्रार्थना पत्र सुनी गई। केस डायरी व तथ्यात्मक रिपोर्ट का अवलोकन किया गया।

3. योग्य अधिवक्ता प्रार्थी/अभियुक्त की ओर से निवेदन किया गया कि प्रार्थी/अभियुक्त को इस

प्रकरण में झूठा फँसाया गया हैं। उससे किसी भी प्रकार की कोई अनुसन्धान शेष नहीं है। प्रकरण के सह–अभियुक्तगण की जमानत हो चुकी है। प्रार्थी/अभियुक्त को दिनांक 31.05.2026 गिरफ्तार किया गया था, उसके पश्चात से वह अभिरक्षा में चल रहा है। प्रकरण के शेष अनुसन्धान एवं विचारण में लम्बा समय लगेगा। प्रार्थी/अभियुक्त राजस्थान के करोली जिले का स्थाई निवासी है जिसके न्यायिक प्रक्रिया से भागने की कोई सम्भावना नहीं है। इसलिए उसे जमानत पर रिहा किए जाने का निवेदन किया गया।

4. योग्य लोक अभियोजक की ओर से उक्त तर्कों का सख्त विरोध करते हुए जमानत प्रार्थना पत्र खारिज किए जाने का निवेदन किया गया।

5. इस सम्बन्ध में केस डायरी का अवलोकन किया गया जिसके अनुसार संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीक्षक डाकघर मण्डल चूरू के द्वारा एक प्रथम सूचना रिपोर्ट इस आशय की दर्ज करवाई गई कि भारतीय डाक विभाग द्वारा ग्रामीण डाक सेवक भर्ती हेतु ऑनलाइन विज्ञापन साइकिल ।। (विज्ञप्ति संख्या परिमंडल कार्यालय जयपुर से नोटिफिकेशन संख्या Rectt/1–41/GDS/2019/Ch. III) एवं साइकिल IV (विज्ञप्ति संख्या परिमंडल कार्यालय जयपुर से नोटिफिकेशन संख्या Rectt./1–41/GDS/Rig जयपुर दिनांक 28.04.2022) दोनों भर्तियों में चूरू डाक मंडल के लिए भी रिक्तियां निर्धारित थी। इन भर्ती प्रक्रियाओं में विभिन्न अभ्यर्थियों ने अपनी कैटेगरी के अनुसार ऑनलाइन आवेदन किया था तथा कक्षा 10th के प्राप्त अंक प्रतिशत मेरिट के आधार पर इन अभ्यर्थियों को चूरू डाक मंडल आवंटित किया गया था। भर्ती पक्रिया के दौरान उक्त अभ्यर्थियों के कक्षा 10th के मूल दस्तावेजों का सत्यापन चूरू डाक मंडल ने सम्बंधित बोर्ड ने करवाया। साइकिल ॥ में चयनित अभ्यर्थियों ने शपथ पत्र प्रस्तुत करके भारतीय डाक विभाग में पद भार ग्रहण किया। दस्तावेज सत्यापन रिपोर्ट प्राप्त होने पर जिन अभ्यर्थियों के दस्तावेज फर्जी पाए गए उनको Removal from इंगेजमेंट की विभागीय कार्यवाही की गयी। इस सत्यापन प्रक्रिया के दौरान अनिल कुमार, अंकित कुमार, इन्द्रजीत, दयाराम, सन्दीप, सुमन, रामजीलाल, सुरंजन कुमार, सतीश कुमार, सतीश पुत्र बलराज, सोमवीर, सोनू कुमारी, राजेश कुमार, हुकुमचन्द मीणा, विनोद कुमार, प्रमोद कुमार, प्रमिला, पप्पू लाल मीणा, अरविन्द व त्रिशला की दसवीं की अंकतालिका फर्जी होना पाया गया, जिनका पूर्ण विवरण डाक विभाग के पत्र में अंकित है। आदि आदि तथ्यों के आधार पर प्रथम सूचना रिपोर्ट संख्या 08/2024 जुर्म दफा 420, 467, 468, 471 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता में दर्ज कर अनुसन्धान प्रारम्भ किया गया। अब तक के अनुसंधान से प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध 420, 467, 468, 471 व 120 बी भारतीय दण्ड संहिता का अपराध प्रमाणित पाया गया है। शेष अनुसंधान जारी है। केस डायरी के अनुसार प्रार्थी/अभियुक्त के विरूद्ध इस प्रकरण के अलावा अन्य कोई प्रकरण दर्ज होना नहीं बताया गया है। **पूर्व आपराधिक प्रकरणः–**

| क्र.सं. | प्रकरण का विवरण | नतीजा |
|---|---|---|
| 1 | NIL | NIL |

6. हस्तगत मामले में प्रार्थी/अभियुक्त द्वारा जिस तरह से फर्जी अंकतालिका के आधार पर भारतीय डाक सेवा विभाग में नियुक्ति प्राप्त की गई है, को देखते हुए यह न केवल एक अत्यन्त ही गम्भीर मामला है बल्कि उसके द्वारा किए गए कृत्य से अन्य अभ्यर्थियों/ बच्चों के भविष्य को भी अन्धकार में खड़ा करके रख दिया है। प्रार्थी/अभियुक्त के इस आपराधिक कृत्य को देखते हुए यदि उन्हें जमानत की सुविधा दी जाए तो निश्चित रूप से ऐसे अपराधियों के हौंसलें बंढ़ेगें। प्रकरण में प्रार्थी/अभियुक्त एवं सह–अभियुक्तगण की भूमिकाऐं अलग–अलग पायी गयी हैं। इसलिए प्रार्थी/अभियुक्त के योग्य अधिवक्ता द्वारा उठाये गये तर्क उनकी कोई मदद नहीं करते हैं।

7. ऐसी स्थिति प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए प्रकरण के गुणावगुण पर बिना कोई टिप्पणी किये प्रार्थी/अभियुक्त इस स्तर पर जमानत प्राप्त करने का अधिकारी नहीं हैं और उसकी ओर से प्रस्तुत प्रार्थना पत्र अस्वीकार किए जाने योग्य है।

**– : <u>आ दे श</u> : –**

8. लिहाजा प्रार्थी/अभियुक्त पप्पूलाल की ओर से प्रस्तुत जमानत का यह प्रथम प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 439 दण्ड प्रक्रिया संहिता अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

( राजेन्द्र चौधरी)

9. आदेश आज दिनांक 04 जून, 2026 को विवृत न्यायालय में सुनाया गया।

( राजेन्द्र चौधरी)